कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1121/ 2025/10-11/ 2506 भोपाल, दिनांक : 10/10/2025

प्रेषकः-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषयः- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।(FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति क्रमांक/6- एमपीआर 015/ 2022 दिनांक 07.05.2025

—0—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः-

A- Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा DFL पर तैयार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की राशि रुपये 74695301/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 01.10.2025 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 186695267/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 01.10.2025 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा DFL पर तैयार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की राशि, साइड इम्प्रूवमेंट प्लान एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 01.10.2025 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का FRA प्रमाण पत्र दिनांक 16.09.2025 से ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक (5) के पालन में noise barrier system/ Crash barrier की KML file सी0डी0 में संलग्न है। वन्यप्राणी क्षेत्र में KML file पीले रंग से चिंहित की गई है।

शर्त क्रमांक (6) के पालन में वन मण्डल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार पालन किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा साइट इम्प्रूवमेंट प्लान की राशि रुपये 9687497/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 01.10.2025 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के पत्र दिनांक 09.02.2024 में अधिरोपित शर्त अनुसार वन्यप्राणियों के आवागमन हेतु पेसेज प्लान अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा कार्य कराया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (9) एवं बी (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रोड साइड प्लांटेशन IRC norms के अनुसार किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र पोर्टल में अपलोड है।
शर्त क्रमांक (11) के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं प्राप्त गैर वन भूमि की KML File ई ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसकी ID No 56018 है।
शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र पोर्टल में अपलोड है।
शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति दिनांक 10.10.2025 जारी की गई है, जो पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in from of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
शर्त क्रमांक (2) के पालन में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्राप्त DFL पर रोपण भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।
शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।
शर्त क्रमांक (4) एवं (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र पोर्टल में अपलोड है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

10/10/25

(एच.एस. मोहन्ता)

क्रमांक/एफ-5/1121/ 2025/10-11/ 2507 भोपाल, दिनांक : 10/10/2025

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त- ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी- ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1121/ 2025/10-11/ 2508 भोपाल, दिनांक : 10/10/2025

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

विषय:- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।(FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भ:- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी ऑनलाईन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 07.05.2025

(2) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/ 16471 दिनांक 08.10.2025

(3) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 11-306/2014-FC दिनांक 08.08.2014

(4)मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/F-5-11/2006/10-3 दिनांक 31.10.2014

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, संदर्भित पत्र (1) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने अधिरोपित शर्तों के तहत प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. संदर्भित पत्र (2) द्वारा आवेदक संस्थान ने प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों के अनुसार राशि जमा की जा चुकी है।

3. संदर्भित पत्र (3) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली ने रेखीय प्रस्ताव हेतु प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तां के अनुसार राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक संस्थाओं को व्यपवर्तित वन भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने तथा कार्य प्रारंभ करने की अनुमति के अधिकार राज्य शासन को दिये है।

4. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग ने उक्त अधिकार संदर्भित पत्र (4) द्वारा इस कार्यालय को प्रदान किये गये है।

5. प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा राशि जमा की जा चुकी है अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने एवं कार्य करने की अनुमति प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक A-5, 8, 9, B-4, 5, 6, 7, 8 के अनुपालन एवं भारत सरकार द्वारा दिए निम्न निर्देश के पालन में दी जाती है:-

(v) "working permission" means permission granted to linear projects before final approval to mobilise the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretisation, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified in the in-principle approval;

6. आवेदक संस्थान से विदोहन की राशि जमा कराई जावे, इसके बाद चिन्हांकन हेतु बजट, विकास शाखा से तथा पातन हेतु बजट उत्पादन शाखा से प्राप्त किया जायेगा। इस हेतु राशि की मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावे।

7. इसके साथ ही प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन न हो इसका विशेष ध्यान रखें। यह अनुमति वृक्ष काटने एवं कार्य प्रारंभ करने हेतु दी जा रही है।

प्रकरण में वनभूमि का औपचारिक हस्तांतरण भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति एवं राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद किया जावेगा। यह स्वीकृति दिनांक 10.10.2026 तक ही प्रभावशील रहेगी।

10/10/25

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1121/ 2025/10-11/ 2509 भोपाल, दिनांक : 10/10/2025

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त- ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

2- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)–474011

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई–मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

BHARATMALA

[संशोधित]

भा.रा.रा.प्रा. / प.का.ई.–ग्वालियर / वेस्टर्न बायपास / फोरेस्ट / 2025 / 16471 दिनांक 08.10.2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः– ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत् (Online Proposal no. FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भः– (1) आपका कार्यालयीन पत्र कमांक / मा.चि. / 25 / 5500 दिनांक 22.09.2025.
(2) इस कार्यालय का पत्र कमांक 16353 दिनांक 17.09.2025.
(3) आपका कार्यालयीन पत्र कमांक / मा.चि. / 25 / 3434 दिनांक 06.06.2025, 3827 दिनांक 25.06.2025 एवं 5149 दिनांक 09.09.2025.
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / 1121 / 2022 / 10–11 / 1438 दिनांक 09.05.2025.
(5) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र कमांक / 6-MPR 015/2022-BHO/ दिनांक 07.05.2025.

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में कृपया आपके संदर्भित पत्र कमांक (1) का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने संबंधी प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 07.05.2025 से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति अंतर्गत अधिरोपित शर्तें (A) 01 लगायत 14 तक (B) 01 लगायत 16 तक के अनुसार राशि जमा करने एवं वचन–पत्र सहित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है, ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

2. तदानुसार, प्रकरण में जारी सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालना निम्नानुसार है–

क्र0	अधिरोपित शर्त	पालन–प्रतिवेदन
A.	Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.	
1.	The cost of compensatory afforestation on the 85.66 ha CA degraded-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	In compliance with Condition No. 01 of in-principle approval issued in the case and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, a total amount of ₹7,46,95,301/- towards the Compensatory Afforestation Plan for the total diverted forest area of 85.66 hectares has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction reference number is BCBT52025100166806974. A copy of the statement is enclosed herewith.

2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 42.83 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in 1A No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006, 5 3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06/01/2022 in this regard.	In compliance with Condition No. 02 of in-principle approval issued in the matter, and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, the total Net Present Value (NPV) amounting to ₹18,66,95,267/- for 42.83 hectares of forest land comprising 38.025 hectares of reserved forest land falling within the sanctuary area and 4.8 hectares of reserved forest land in the general area has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction reference number is 52025100166806974, and a copy of the statement is enclosed herewith.
3.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Accordingly, all the funds has been transferred/deposited in CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
4.	Complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from concerned District Collector.	FRA certificate from District Collector Gwalior is attached herewith.
5	The acoustic noise barrier system/Crash barrier system may be installed/executed as per specifications of IRC SP130-2022 and IRC code: 119-2015 wherever required during the construction of proposed road in consultation with the concern DFO. The area and geocoordinate detail may be submitted for length in which noise/crash barrier shall be installed. The same may also be marked in the KML of diversion area in different colour.	Accordingly, requisite information has been submitted.
6	The area proposed for raising CA in DFL shall be shifted adjacent to the natural boundary of the compartment and ensure that the area accommodates at least 85,660 plants in the proposed DFL. The KML of CA area may be revised accordingly.	Forest Department will comply with the condition.
7	The User Agency shall prepare a site improvement plan for isolated patches affected by the construction of proposed road (26°14'55.82"N at coordinate 78°4'6.54"E) and deposit the requisite fund into the CAMPA account. The site improvement plan must include all necessary components like fencing watering facility, soil & moisture conservation work, Plantation in gaps with native species, etc. (if not complied as a condition of wildlife clearance)	In compliance with Condition No. 07 of in-principle approval issued in the matter and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, an amount of ₹96,87,497/- has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction number is 52025100166806974, and a copy of the statement is enclosed herewith.
8	All conditions of wildlife clearance shall be strictly complied.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (8) of undertaking.

08/10/25

9	The road side plantation shall be carried out by the State Forest Department as per the scheme submitted and the requisite fund shall be deposited in CAMPA by the Project Proponent.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (9) of undertaking.
10	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (10) of undertaking.
11	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e.Green watch portal with all requisite details prior to Stage II Approval.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (11) of undertaking.
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter-1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (12) of undertaking.
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Agreed, compliance of all conditions will be ensured to be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/) as well as submitted to your office in physical form.
14	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-1 approval.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (14) of undertaking.
B.	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over the forest land to the user agency by the state forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval.	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (1) of undertaking.
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 85.66 ha Degraded Forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (2) of undertaking.
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (3) of undertaking.
4	The User Agency shall restrict felling of trees, to the enumerated 740 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (4) of undertaking.

08/10/25

5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project Cost.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (5) of undertaking.
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (6) of undertaking.
7	Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (7) of undertaking.
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (8) of undertaking.
9	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (9) of undertaking.
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (10) of undertaking.
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (11) of undertaking.
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (12) of undertaking.
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (13) of undertaking.
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (14) of undertaking.
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (15) of undertaking.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (16) of undertaking.

08/10/25

3. अतः सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार राशि जमा कर एवं वचन पत्र सहित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन अपलोड किया जा कर आपके कार्यालय की ओर प्रेषित करते हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति/कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार।

08/10/25

(परियोजना निदेशक),
भाराराप्रा, प.क्रि.इ. ग्वालियर(म.प्र.)

प्रतिलिपिः –

(1) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(3) क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(5) उप वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर एवं अधीक्षक, घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- S/S -

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

(Annexure-IX)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - **Regarding stipulated Condition no. (B) 03 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)

nexure - 1

ORM-1

(For liner Projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Gwalior (Madhya Pradesh)

No. 1856 Date 16.9.25

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoE&F) Government of India letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009. wherein the MoE&F issued guidelines on Submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoE&F's letter dated 5th February 2013 wherein MoE&F issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 42.8305 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of National Highways Authority of India, PIU Gwalior for Construction of 4-Lane of Western Bypass of Gwalior City in Gwalior district falls within jurisdiction of **Jigsoli, Kulaith, Sojna, Parpete Ka Pura, Tighra, Sujwaya, Barai and Raipur** villages in District Gwalior.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 42.8305 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexures A, B & C.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Ruchika Chauhan)
IAS
District Collector
District Gwalior (MP)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-XXIII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - **Regarding stipulated Condition no. (A) 9 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that roadside plantation on both sides of the project highway shall be carried out in accordance with IRC norms, as already stipulated in the provisions of the Concession Agreement executed between NHAI and the Concessionaire.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)

(Annexure-XXIII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - **Regarding stipulated Condition no. (A) 9 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that roadside plantation on both sides of the project highway shall be carried out in accordance with IRC norms, as already stipulated in the provisions of the Concession Agreement executed between NHAI and the Concessionaire.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)

215642

(418)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. –2, तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2766315 फैक्स : 0755-2766315
E-mail : pccfwl@mp.gov.in

N.H.A.I. PIU-GWALIOR (M.P.)
DAIRY NO. 32692
DATE- 15/02/2024

क्रमांक / व.त.अ.–1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 12–1 / 22.11 / 1487 — भोपाल, दिनांक 17.2.2024

शुद्धि पत्र

प्रति,
परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ग्वालियर म.प्र.

विषय :- **ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति। (FP/MP/ROAD/120435/2021)**

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / व.त.अ.–1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 12–1 / 22.11 / 1207 दिनांक 09.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु सशर्त वन्यप्राणी अनुमति जारी की गई थी। उक्त अनुमति के निम्न बिन्दुओं में आंशिक संशोधन किया जाता है –

1. संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2024 से प्रदाय की गई सैद्धांतिक अनुमति के बिन्दु क्रमांक- 4 की चौथी पंक्ति में एवं बिन्दु क्रमांक–7 के पांचवी पंक्ति में लिपिकीय त्रुटिवश उल्लेखित "आरक्षित वनभूमि 18.315 हेक्टेयर" को विलोपित कर इसके स्थान पर **"आरक्षित वनभूमि 38.025 हेक्टेयर"** पढ़ा जावे।
2. प्रकरण में प्रदाय की गई अनुमति के बिन्दु क्रमांक–3 में उक्त परियोजना लागत रूपये 14713.00 लाख दर्शायी गई थी, जो वर्ष 2021 की स्थिति में आंकलित की गई है। वर्ष 2024 की स्थिति में उक्त परियोजना की लागत प्रस्तुत की जावे। वर्तमान परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि अनुमति के बिन्दु क्रमांक 7.2 के अनुसार जमा कराया जावे।
3. प्रकरण में प्रदाय की गई उक्त वन्यप्राणी अनुमति के बिन्दु क्रमांक 7.3 में वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. / 24 / 562 दिनांक 31.01.2024 से मिटिगेशन मेजर्स हेतु प्रोजेक्ट व्यय के अनुसार राशि रूपये 16,20,50,580 / – प्रावधान किये जाने का उल्लेख है। प्रस्तुत पत्र एवं सहपत्र के अनुसार उपरोक्त राशि केवल चेनलिंक फेंसिंग हेतु प्रस्तावित है। अभयारण्य क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये अनुसार मिटिगेशन मेजर्स हेतु 05 वर्षों हेतु कुल राशि रूपये 47,71,59,000 / – का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 7.3 में संशोधन करते हुए

19/02

मिटिगेशन मेजर्स हेतु राशि रूपये 47,71,59,000/-- मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में जमा की जावे।

संदर्भित पत्र से प्रकरण में प्रदाय की गई सशर्त वन्यप्राणी अनुमति मे अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे, ताकि प्रकरण में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंतिम वन्यप्राणी अनुमति जारी की जा सके।

(शुभरंजन सेन)
प्रभारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/व.स.अ.-1/म.प्र.रा.व.प्रा.बो./12-1/22.11/1488 भोपाल, दिनांक 19-2-2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) ~~वन~~ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला- ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तों में आंशिक संशोधन अनुसार परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये गये मिटिगेशन मेजर्स के अनुसार आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार राशि रूपये 47,71,59,000/- एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर, की गई कार्यवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

प्रभारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल

(1388)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315

-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.त.अ.-1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 12-1 / 22.11 / १२०७ भोपाल, दिनांक [illegible] २०२४

प्रति

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ग्वालियर म.प्र.

विषय :- ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति। **(FP/MP/ROAD/120435/2021)**

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर का पत्र क्रमांक / 22 / 1214 दिनांक 16.03.2022 एवं वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर का पत्र क्रमांक / मा.चि / 24 / 562 दिनांक 31.01.2024 एवं आपका पत्र क्रमांक / 20019 / 01 / 2018-Western Bypass / 12603 दिनांक 30.01.2024

-0-

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त एवं वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था।

प्रस्ताव अनुसार ग्वालियर जिले में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग कि.मी. 16.500 से कि.मी. 24.800 तक कुल 8.3 कि.मी. लम्बाई में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अभयारण्य की 38.025 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा ईको-सेंसेटिव जोन मे 200 मीटर (100-100 मीटर लम्बाई में अभयारण्य के दोनो छोर पर) रकबा 0.900 हेक्टेयर राजस्व भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. प्रस्तावित क्षेत्र का कक्षवार, लम्बाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण हेतु क्षेत्र का विवरण	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी. में)	चौड़ाई (मी. में)	रकबा (हेक्टेयर में)
1.	[illegible]	RF 335	3390	45	15.255
		MGB Raipur	2420	45	10.890
			300	50	1.500
		RF 341	1740	45	7.830
			150	50	0.750
			300	60	1.800
		योग	8300	-	38.025
2.	ईको सेंसेटिव जोन में (100+100)		200	45	0.900

N.H.A.I. PIU-GWALIOR (M.P.)
DAIRY NO. 32914
DATE- 14/02/2024
M (T)- I / II / DY. M (T)
S.E. - I / II / III / IV
PS / PA / STENO / Actt. / LA

3 उक्त प्रस्तावित योजना में कुल 800 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। उक्त परियोजना की लागत रुपये 14713.00 लाख दर्शायी गयी है।

मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त एवं वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों को नुकसान न पहुंचाये जाने तथा पैसेज प्लान में सुझाये गये मिटिगेशन मेजर्स/शर्तों के अधीन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा अनुशंसा की गई थी, जो निम्नानुसार है:--

3.1. पैसेज प्लान अनुसार प्रस्तावित 18 नग साइन बोर्ड लगाये जावें।

3.2. पैसेज प्लान अनुसार निम्नानुसार अंडरपास/बाक्स कल्वर्ट/युटिलिटी डक्ट बनाये जायेंगे।

क्र.	अधोसंरचना का नाम	संख्या	साइज (मीटर में)	ऊंचाई / व्यास (मीटर में)
	Vehicle Underpass	03	1x20x5.5	5.5 - h
	Lower Vehicle Underpass	01	1x12x4	4 - h
	Animal Underpass	14	1x15x4	4 - h
	Box MNB	01	1x15x2.97	2.97 - h
	Box Culvert (08 No.)	01	1x4	4.34 - h
		01	1x5	4.59 - h
		01	1x2	4.74 - h
		01	1x2	6.51 - h
		01	1x2	6.57 - h
		01	1x2	3.25 - h
		01	1x2	4.31 - h
		01	1x5	6.19 - h
	Utility Duct	15	1x3.6 Dia	0.6 - Dia

3.3 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वन्यप्राणी क्षेत्र में मार्ग के दोनों तरफ ध्वनि प्रदूषण दीवार एवं चेनलिंक फेंसिंग की जावेगी।

3.4. अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत निर्माण किये जाने वाले मार्ग की लागत की 2 प्रतिशत की राशि अभयारण्य के विकास हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार आवेदक संस्था द्वारा मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते मे जमा करायी जायेगी।

3.5. अभयारण्य क्षेत्र के अंदर एवं इसकी सीमा से 250 मीटर में श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

3.6. मार्ग निर्माण में उपयोग की जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री अभयारण्य के बाहर से लायी जावेगी। अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।

3.7 सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नहीं किया जायेगा।

4 उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 22वी बैठक दिनांक 20.04.2022 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें बोर्ड निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि 18.315 हेक्टेयर एवं ईको सेंसेटिव जोन में 0.9 हेक्टेयर राजस्व भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग किये जाने के प्रस्ताव की वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पैसेज प्लान में सुझाये गये मिटिगेशन मेजर्स/शर्तों के अधीन राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जावे।"

5. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 72वी बैठक दिनांक 25.04.2023 में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"The proposal for use of 38.025 ha of forest land from Son ChiriyaHukna Bird (Great Indian Bustard) Sanctuary , Madhya Pradesh for construction of Western Bypass road with 8.3 km length and 45 m to 60 m in width, was discussed in the 71st meeting held on 29.12.2022 and was deferred for re-examination of the mitigation plan including animal passage plan.

Wildlife Institute of India has forwarded its report on the proposal with the following recommendations:

a. Long underpasses (viaduct) of about 300 m width x 5 m height with noise attenuation at approximately every 3 km along the road through open habitat for crossings of all species, particularly ungulates and large carnivores.

b. Long overpasses (land bridge) of about 150 m width x 4 m height and underpasses of about 300 m width x 5 m height alternately and with noise attenuation at approximately every 3 km along the road through forest habitat for crossings of all species, particularly ungulates and large carnivores.

c. Box culverts of 30 m width x 4 m height at every 1 km along the road for medium-size animals (meso-carnivores, small mammals and reptiles).

d. Pipe culvert of 1.5 m diameter at every approximately 250 m along the road for small animals (hedgehogs, rodents, reptiles, amphibians etc.)

e. All the above crossing structures need to be appropriately landscaped to make them appear naturalistic for facilitating passage.

f. Fencing of road sections without passages using 2 m height chain link-fence buried in concrete 30 cm above and 60 cm below ground (to deter digging by semi/fossorial animals), to reduce vehicle-animal collisions.

The report further mentions that the exact passage and mitigation plan (placement, structures and designs) would require a detailed study of the landscape. Additionally, the plan should include a compensation component as offset for the serious habitat loss (25 sq.km. eastern patch of the WLS rendered ecologically non-viable and potentially dysfunctional for sensitive species) to be caused by the proposed road, as per the hierarchy of measures recommended in WII's guidelines. This compensation /offset plan should include recommendations for the following:

a. funds for enclosing two grassland patches of >25sq km cumulative area using chain-link-fencing and restoring the enclosed habitat by scientifically informed management practices that benefit grassland species;

b. expanding grassland habitat within the Sanctuary by suitable restoration activities, so as to consolidate ~200 sq km habitat suitable for GIB for future re-establishment of birds that will benefit associated grassland taxa.

The proposal was discussed in the 72nd meeting SC-NBWL.
Chief Wild Warden, Madhya Pradesh agreed with the recommendations of WII.
Decision Taken: After discussions, the Standing Committee recommended the proposal with the following conditions:

5.1. *Suggestions given by the WII in its report with regard to the animal passage and mitigation plan will be incorporated in the proposal.*
5.2. *The compensation/offset plan given by WII will to be incorporated in the proposal.*
5.3. *Annual compliance certificate on the stipulated conditions will be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to the Government of India.*

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :—

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

7. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में लिये गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 20.04.2022 में की गई अनुशंसा के अनुसार ग्वालियर जिले के अंतर्गत बेरछा बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि 18.315 हेक्टेयर एवं ईको संसटिव जोन में 0.9 हेक्टेयर राजस्व भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग संबंधी प्रस्ताव की सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

7.1 राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में एजेण्डा क्रमांक 72.2.16 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के निर्णय अनुसार प्रकरण में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जावे।

7.2 प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र सोनचिड़िया अभयारण्य घाटीगांव एवं इसके ईको सेंसेटिव जोन में मार्ग निर्माण की प्रोजक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा कराई जाए।

7.3 राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में लिये गये निर्णयों के पालन में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा पत्र क्रमांक WII/AE&CB/BH/GIB-SCHB/2023/01 दिनांक 24.08.2023 से प्रेषित प्रतिवेदन में द्वारा सुझाये गये अनुमोदित मिटिगेशन मेजर्स को सम्मिलित करते हुए वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल ग्वालियर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2024 से मिटिगेशन मेजर्स हेतु प्रेषित व्यय के अनुसार राशि रूपये 16,20,50,580/— का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रस्तावित योजना एवं पैसेज प्लान के अनुसार आवेदक विभाग से राशि बिन्दु क्रमांक 7.2 में वर्णित अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी जमा कराकर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

7.4 प्रस्तावित क्षेत्र में मार्ग निर्माण के दौरान 600 वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष न काटा जावे।

7.5 आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

7.6 मार्ग निर्माण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही किया जायेगा।

7.7 मार्ग निर्माण कार्य के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि निर्माण कार्य के दौरान वनों एवं वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार की क्षति/व्यवधान न हों।

7.8 अभयारण्य वन क्षेत्रों के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/आग जलाना/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन तथा वन संपदा को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा। अवैध उत्खनन पाये जाने पर संबंधित आवेदक/एजेन्सी एवं उपयोगकर्ता विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जावेगी।

7.9 अभयारण्य क्षेत्र में या उसकी सीमा के 250 मीटर में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावे।

7.10 अभयारण्य क्षेत्र में मार्ग निर्माण के दौरान वनमण्डलाधिकारी/संबंधित वनाधिकारी की निगरानी/देखरेख में कार्य संपादित किया जावेगा।

7.11 निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

7.12 प्रकरण में यदि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में भूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल से प्राप्त की जावे।

7.13. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

7.14. आवेदक विभाग/संस्था को राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक-7.2 एवं 7.5 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा अन्य शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत प्रकरण में पृथक से अंतिम अनुमति जारी की जा सकेगी। उक्त शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

9/2/25

(शुभरंजन सेन)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

पृ. क्रमांक/व.ता.अ.-1/म.प्र.रा.व.प्र.बो./12-1/2211/1208 भोपाल, दिनांक 13-2-2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला–ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों के कियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये गये मिटिगेशन मेजर्स हेतु अतिरिक्त राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर, की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉**Proposals received on or after 15th July 2014** ○**All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal **Select State :** Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ○**Paid** ○**Unpaid** ◉**All**

Enter value for Search : 149532

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/149532/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/149532/2021) Constrcution of Bypass on WESTERN side of Gwalior City (design km 0.000 to 27.800)	ROAD1495322021402	07 May 2025	**CA:** 74695301/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 186695267/- , **Total :** 271078065/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Site Improvment Plan :** 9687497/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 08 Oct 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Oct 2025 **Transaction Date** : 01 Oct 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/081020251537564207_FPMPROAD1495322021_User_Fund_Demanded_78130. Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1495322021402)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

Main Menu

[iccems mp admin1]
State- Madhya Pradesh
10 Oct 2025, 16:33:43 IST

e-Green Watch

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:56018

Project Name : **Construction of Bypass on WESTERN side of Gwalior City (design km 0.000 to 27.800)** Year : **2025**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.